



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062021-227277
CG-DL-E-01062021-227277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2021/ज्येष्ठ 10, 1943

No. 6]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2021/JYAISTHA 10, 1943

इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2021

फा. सं. M-13/476/2021-MESSAGING and SMS SERVICES DIVISION.— केंद्रीय आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4 (4) (बी) (ii) (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा का लक्षित वितरण) (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण करने की अनुमति देता है, इस तरह के उद्देश्य के लिए, प्राधिकरण के साथ केंद्र सरकार के रूप में, और राज्य के हित में, लिख सकते हैं।

जबकि इस तरह के उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने आधार प्रमाणीकरण हेतु सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार ज्ञान) नियम, 2020 तैयार किया है, जिसमें स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण के लिए उद्देश्य और स्वैच्छिक आधार पर आधार का उपयोग करने की अनुमति लेने के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

जबकि भारत सरकार के दिनांक 12 मई 2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13(2)/2020-EG-II (Vol-8) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण के उपयोग की अनुमति दे दी है:

ई फॉर्म (उपयोगकर्ता के ई केवाईसी के लिए, उपयोगकर्ताओं को सत्यापित करने हेतु)

ई फॉर्म में आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर है और उपयोगकर्ता संगठन सत्यापन के वैकल्पिक साधन प्रदान करेंगे।

एनआईसी आधार अधिनियम 2016, आधार विनियमन 2016 के प्रावधानों और समय-समय पर यू आई डी ए आई द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

सीमा खन्ना, वैज्ञानिक- जी

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**(National Informatics Centre)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th May, 2021

F. No. M-13/476/2021-MESSAGING and SMS SERVICES DIVISION.— Under section 4(4)(b)(ii) of the Central Aadhaar (Targeted delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as “the said Act”), allows performing authentication on voluntary basis, for such purpose, as the Central Government in consultation with the Authority, and in the interest of State, may prescribe.

Whereas for such purpose Government of India has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation Knowledge) Rules, 2020 wherein the Purposes for Aadhaar Authentication on Voluntary basis and process to be followed to seek permission to use Aadhaar on Voluntary basis.

Whereas Government of India vide Office Memorandum No. 13 (2)/2020-EG-II(Vol-8) dated 12th May 2021 has conveyed the approval of the Competent Authority to allow use of Aadhaar Authentication for purpose :

eForms (for eKYC of the user, to verify users)

Aadhaar Authentication in eForms is on voluntary basis and user organisations shall provide alternate means of verification.

NIC shall comply with provisions of Aadhaar Act 2016, Aadhaar Regulation 2016 and the O.Ms, circulars and guidelines issued by UIDAI from time to time.

SEEMA KHANNA, Scientist-G